



यूको बैंक

ऑचलिक कार्यालय : डी 63/8-1-एम, तुलसीपुर
महमूरगंज, वाराणसी - 221 010
Phone: 0542-22220032, 2221023, 2224423
e-mail: zo.varanasi@ucobank.co.in

नीलामी सूचना

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्ति का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम-2002 (SARFESAI ACT-2002) की धारा 13(2) नियम 5,6,7,8 और 9 के साथ पठित नियम 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के पास साम्यिक बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में मांग-नोटिस जारी करने के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है; और अब प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्तियों को जो है, जैसा है के आधार पर यथास्थिति ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित करते हैं।

ऋणी का नाम एवं शाखा	सम्पत्ति स्वामी का नाम	लेजर बैलेंस में बकाया धनराशि	कब्जा की गई संपत्ति के मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य ₹0	अग्रिम रूपये	ई-नीलामी तारीख और समय
श्रीमती कुशमावती शाखा- आजमगढ़	श्रीमती कुशमावती पत्नी श्री हरिद्वार	Rs. 6,69,041/- as on 24.06.2015 + ब्याज और विविध खर्च	डीड नं०- 2875, दिनांक- 17.08.2009, मौजा- चक फौदी, टप्पा - अथेसी, परगना- निजामाबाद, तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़, पिन नं०-27601 चौहद्दी- उत्तर: बहादुर का मकान, दक्षिण: शिवबचन का मकान, पूर्व: रोड, पश्चिम: बरसाती का प्लाट	Rs. 11.47 Lac	Rs. 1.15 Lac	29 जून 2017 प्रातः 11 बजे से उपराहन 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित अन्तराल पर
श्रीराम राइस मिल शाखा- आजमगढ़	श्री रामफेर यादव पुत्र शिवबचन यादव	Rs. 9,95,000/- as on 24.06.2015 + ब्याज और विविध खर्च	प्लाट नं०- 112, ग्राम- भथैनी, परगना- गोपालपुर, तहसील- सगरी, जिला- आजमगढ़ चौहद्दी- उत्तर: चकनाली, दक्षिण: ए.एल.ओ. रामफेर, पूर्व: खरन्जा रोड, पश्चिम: ए.एल.ओ. रामफेर	Rs. 34.09 Lac	Rs. 3.40 Lac	

निर्बन्धन एवं शर्तें-

- बिक्री दिनांक 29.06.2017 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के मध्य वेबसाइट <https://www.auctiontiger.net>, पर आनलाइन ई-नीलामी द्वारा प्रत्येक मामले असीमित रूप से 5 मिनट का अतिरिक्त समय देते हुए की जाएगी।
- इच्छुक बोलीदाता के पास वैध ई-मेल पता होगा इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये और प्रशिक्षण के लिये कृपया मेसर्स इ-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीस लि0, 124 First Flor, Ansal City near U.P. Press Club, Lucknow 226001 U.P. Center, पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ईमेल आईडी- ramprasad@auctiontiger.net दूरभाष नं० 079-4030809/807/806, मो० नं०- 8000023297 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- इच्छुक बोलीदाता को चाहिये कि वे अपनी निविदा प्रस्तुत करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व नीलामी से सम्बन्धित निर्बन्धनों एवं शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com>, Uco Bank website www.ucobank.com से प्राप्त कर लें।
- बोली विहित प्रारूप में संगत ब्योरे के साथ अंचल कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।
- बोली-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.06.2017 को सायं 5.00 बजे तक है।
- अग्रिम धन यूको बैंक क्रम सं०- 1/2 के लिए खाता सं. 21801030100001 आई.एफ.सी. कोड यूसीबीए 0002180 तथा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा यूको बैंक, आजमगढ़ शाखा में जमा कराना होगा।
- सभी बोली दाताओं को (यूटीआर सं. का उल्लेख करते हुए) बोली-पत्र प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, ऑचलिक कार्यालय : डी 63/8-1-एम, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी - 221 010, Phone: 0542-22220032, 2221023, 2224423, e-mail: zo.varanasi@ucobank.co.in को प्रस्तुत करना होगा।
- बोली की शुरुआत आरक्षित मूल्य के बराबर की राशि / उससे अधिक राशि किन्तु रु. 10000/- के गुणक में होनी चाहिये। कृपया ध्यान रखें कि प्रथम आनलाइन निविदा (एच1) कम से कम अंतिम तिथि तक प्राप्त निविदा में बोली लगाई गई राशि से कम से कम एक गुणक (रु. 10000/-) अधिक होनी चाहिये।
- ई-निविदा की समाप्ति पर सफल बोलीदाता को उसी दिन खंड 7 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बोली का 25% का राशि (जिसमें अग्रिम राशि शामिल नहीं होगी) जमा करानी होगी। खरीद मूल्य का शेष 65% आगामी 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा।
- यदि सफल बोलीदाता उक्त धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा करने में असफल रहता है तो बोली को निरस्त समझा जाएगा और अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।
- असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि ई-नीलामी समाप्ति के बाद वापस कर दी जाएगी।
- बिक्री को अंतिम तभी माना जाएगा जब बैंक पुष्टि कर देता है। यदि ऋणी अथवा जमानतदार सम्पूर्ण देय राशि, बिक्री की पुष्टि किये जाने से पूर्व, जमा कर देता है तो बिक्री रद्द हो जाएगी।
- सम्पत्ति की बिक्री जो है जैसे और जहां है के आधार पर की जाएगी (बैंक ने वर्तमान में प्रतीकात्मक रूप से सम्पत्ति का कब्जा ले रखा है) और इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने के पहले सम्पत्ति के स्वामित्व तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में देयों के बारे में विवेकपूर्ण जांच कर हकविलेख, गुणवत्ता और हकविस्तार के सम्बन्ध में अपने को संतुष्ट करेगा। आनलाइन बोली प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अधोहस्ताक्षरी के पास बिना पूर्व सूचना के और बिना कारण बताए बिक्रय प्रक्रिया को स्थगित/निलम्बित करने/निबन्धनों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- क्रेता को सम्पत्ति से सम्बन्धित स्टॉप शुल्क का मूल्य, बिक्रय प्रमाण-पत्र पंजीयन प्रभार सहित वर्तमान एवं भविष्य में आरोप्य सभी प्रकार के प्रभार जिसमें सरकार को देय साविधिक देयों, करों, दरों तथा अन्य जावकों को देना होगा। बिक्रय-पत्र केवल सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा।
- इच्छुक क्रेता 25.06.2017 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच किसी भी समय सम्बन्धित शाखा में जा कर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है।
- बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 और उपरिलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।
- इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये प्राधिकृत अधिकारी मो० नं०-9696966232 या यूको बैंक, ऑचलिक कार्यालय : डी 63/8-1-एम, तुलसीपुर, महमूरगंज, वाराणसी - 221 010, Phone: 0542-22220032, e-mail: zo.varanasi@ucobank.co.in पर सम्पर्क करें।
- उक्त नोटिस जनसामान्य के लिये विशेष रूप से ऋणी और जमानतदार हेतु सूचनार्थ जारी किया जाता है।

स्थान: ऑचलिक कार्यालय

दिनांक: 27.05.2017

अधिकृत अधिकारी - यूको बैंक